।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 18.01.2024 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 18.01.2024 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री दिलबाग सिंह, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में निम्न 02 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
ईमरान खान पुत्र शेर खान	के.का. जोधपुर	1754/2023	07.12.2023	14.12.2023
दीपक पुत्र भंवरलाल	के.का. अजमेर	1825/2023	11.12.2023	27.12.2023

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. ईमरान खान पुत्र शेर खान, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर:-

बंदी को ए.डी.जे. कोर्ट संख्या-02 आबूरोड़ द्वारा प्रकरण संख्या 32/2017(06/2017) अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 20.08.2018

को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक 09 वर्ष 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन होने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1754/2023 दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 07.12.2023 को निर्णय पारित कर 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

बंदी के विरूद्ध 01 अन्य विचाराधीन प्रकरण का दिनांक 09.09.2023 को निस्तारण हो जाने के कारण बंदी, खुला बंदी शिविर में जाने हेतु पात्र है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी ईमरान खान पुत्र शेर खान** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. **दीपक पुत्र भंवरलाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-**

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-01 परबतसर, जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2014 अंतर्गत धारा 302, 396, 460 आई.पी. सी. में दिनांक 25.11.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक 10 वर्ष 06 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 29.03.2023 एवं 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से एवं 460 आई. पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1825/2023 में दिनांक 11.12.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 02 माह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

घटनाक्रम इस प्रकार है- *दिनांक 09.04.2014 को रामदेव पुत्र हीरालाल ने लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी मकराना को दी कि उसकी सास श्रीमती संतोष उर्फ पप्पूडी व उसका साला बाबूलाल उम्र 19 वर्ष दिनांक 08.04.2014 को घर पर थे। दिनांक 08.04.2014 को रात्रि 10.00 बजे के बाद दीपक व उसके तीन साथियों ने उनके घर में प्रवेश कर संतोष उर्फ पप्पूडी व उसके पुत्र बाबूलाल की निर्मम हत्या कर घर में रखा सामान लूटकर ले गये।*

अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या-1 परबतसर जिला नागौर ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये बन्दी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रूर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने तथा समाज हेतु खतरा बन सकने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी दीपक पुत्र भंवरलाल को खुला बंदी शिविर में नही भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य** शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।